51

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1086–दो/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–2–2012 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बेगमगंज प्रकरण कमांक 10/अपील/अ–6/10–11.

1– अमानसिंह पुत्र स्व. कासीराम
2– लक्ष्मण उर्फ भावसिंह पुत्र कासीराम
निवासीगण ग्राम ऊमरखोह
तहसील बेगम गंज जिला रायसेन

..............आवेदकगण

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन
2– शकूरीबाई पत्नी नर्बदा प्रसाद
निवासी ग्राम डाढिया
तहसील बेगम गंज जिला रायसेन
3– श्यामबाई पत्नी हरनामसिंह
निवासी ग्राम साजखेडा
तहसील बेगम गंज जिला रायसेन
4– मुल्लोबाई पुत्री कासीराम पत्नी शिवप्रसाद
निवासी ग्राम जमुनिया गोडाखोह
तहसील बेगम गंज जिला रायसेन

..............अनावेदकगण

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री डी0डी0 मेघानी, अभिभाषक, अनावेदक क. 2 व 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/6/12 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, बेगमगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–2–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका कमांक 2 शकूरीबाई द्वारा तहसीलदार, बेगमगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–1–06 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, बेगमगंज के समक्ष दिनांक 19–11–2009 को लगभग साढ़े तीन वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूंकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी,

इसलिए विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 9–2–2012 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि अनावेदिका कमांक 2 शकूरीबाई स्व. कासीराम की पुत्री नहीं है, इस सम्बंध में दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे, परन्तु इस पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(2) अनावेदकगण की ओर से तहसील न्यायालय समक्ष प्रश्नाधीन आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 25–3–09 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं दिनांक 9–4–09 को नकल तैयार हो गई थी, इसके बावजूद भी अनावेदकगण द्वारा 6 माह पश्चात दिनांक 6–10–09 को नकल प्राप्त किया गया है, इस कारण भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में त्रुटि की गई है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सकारण बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है, जबकि उन्हें विलम्ब क्षमा करने के लिए सकारण बोलता हुआ आदेश पारित करना चाहिए था ।

तर्कों के समर्थन में 2011 आर.एन. 65, 2015 आई.एल.आर. 2155, 2006 आर.एन. 88, 1992 आर.एन. 289 (हा.को.) के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 2 एवं 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय में पारित आदेश की सूचना अनावेदकगण को नहीं दी गई है, अतः जानकारी के दिनांक से उनके द्वारा समय–सीमा में अपील प्रस्तुत की गई, जिसे स्वीकार करने में अनुविभगीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण द्वारा जानकारी होने पर अवलिम्ब प्रश्नाधीन आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, और आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त होने पर उनके द्वारा तत्काल प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी । यह भी कहा गया कि सामान्यतः विलम्ब क्षमा करने में उदारपूर्वक रूख अपनाना चाहिए, और

प्रकरण का निराकरण समय–सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु पर नहीं किया जाकर गुण–दोष पर किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण के विरूद्ध आदेश पारित करने में घोर अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई थी, इस कारण भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

तर्कों के समर्थन में 1991 आर.एन. 127 (हा.को.), 2000 आर.एन. 221, 2005 आर. एन. 184, 1995 आर.एन. 411, 1985 आर.एन. 430, 1997 आर.एन.345 (हा.को.), 1997 आर. एन. 360, 1997(2) विधि भास्कर 124 (हा.को.), 2000 आर.एन. 139, 2004 (1) एम.पी.डब्ल्यू. एन.172 (सु.को.), 2003 (1) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 72 (हा.को.) के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा बिना आवेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है और आदेश की सूचना भी आवेदकगण को दिया जाना प्रकरण से परिलक्षित नहीं होता है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर विलम्ब क्षमा करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, बेगमगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–2–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर